

उ.म.रे. के सा. एवं सहा. नियम की संशोधन पर्ची सं.-68, दिनांक-22.03.2021 का राजभाषा में अनुवाद
(संदर्भ: ई ऑफिस फाइल नं. - एनसीआर-एचक्यू0सीएसएनटी(पीओएल1)/1/2021, दिनांक- 18.03.2021)

01. वर्तमान स.नि. 3.50/1(क) को हटाया जाता है और उसके स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाता है -
- स.नि. 3.50/1(क) ट्रेप - ये सिंगल स्विच रेल कांटे हैं, जो किसी लाइन पर, इसे अन्य लाइन या लाइनों से पृथक करने के लिए लगाये गये हैं। स्विच को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि खुली स्थिति में स्विच के ऊपर से गुजरने वाला वाहन/वैगन अवपथित हो जायेगा।

सं.- याता/सामा./संशोधन पर्ची /22/20
दिनांक : 28.07.2021.



(बिप्लव कुमार)

प्रमुख मुख्य परिचालन प्रबंधक

प्रतिलिपि :

1. प्रमुख कार्यकारी निदेशक (संरक्षा)/रेलवे बोर्ड/नई दिल्ली।
2. सचिव महाप्रबंधक - महाप्रबंधक महोदय के सादर सूचनार्थ।
3. प्रमुख मुख्य संरक्षा अधिकारी, प्रमुख मुख्य इंजी., प्रमुख मुख्य बिजली इंजी., प्रमुख मुख्य यांत्रिक इंजी., प्रमुख मुख्य सिगनल एवं दूर संचार इंजी./उत्तर मध्य रेलवे/प्रयागराज।
4. प्रमुख मुख्य परिचालन प्रबंधक- उत्तर रेलवे, उत्तर पश्चिम रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे एवं पश्चिम मध्य रेलवे।
5. मंडल रेल प्रबंधक, प्रयागराज/झांसी/आगरा।
6. वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक, प्रयागराज/झांसी/आगरा।
7. प्राचार्य, क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान/चंदौसी/उत्तर रेलवे।
8. प्राचार्य, बिजली प्रशिक्षण केंद्र/कानपुर/उत्तर मध्य रेलवे।



(बिप्लव कुमार)

प्रमुख मुख्य परिचालन प्रबंधक



पृष्ठ संख्या- 01 (कुल 01 पृष्ठ)